उत्तर रेलवे

आज़ादी का अमृत महोत्सव

लखनऊ मंडल उत्तर रेलवे में अनुबंध के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिसनर की नियुक्ति हेतु सीधे साक्षात्कार (वाक इन इंटरव्यू)

अनुबंध के आधार पर लखनऊ मंडल उत्तर रेलवे में कार्य करने हेतु 04 मेडिकल प्रैक्टिसनरों पुरुष/महिला की रिक्तियों को भरने के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा। अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी और अनुबंध की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अनुबंध को आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम अनुबंध की अवधि 12 वर्ष की हो सकती है। सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर को 65 वर्ष की आयु तक (एक वर्ष हेतु) अधिकतम पाँच अनुबंध अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। योग्य उम्मीदवारों को नीचे दिये गये तिथि एवं समय एवं स्थान पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है।

– इस अधिसूचना को उत्तर रेलवे की वेबसाइट **www.nr.indianrailways.gov.in** में अपलोड कर दिया गया है। विस्तृत विवरण नियम शर्तें, फॉर्म इत्यादि उपरोक्त वेबसाइट के अन्तर्गत लखनऊ मंडल के कार्मिक शाखा (Personnel Dept.) पर उपलब्ध है।

साक्षात्कार का स्थान	तिथि	समय
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कार्यालय, उ.रे./चारबाग, लखनऊ।	17.01.2024	11.00 बजे

स्टेशन/स्वास्थ्य इकाई	पदों की संख्या	योग्यता
मंडल चिकित्सालय, चारबाग, उ.रे., लखनऊ एवं लखनऊ मंडल, उ.रे. के अधीन स्वास्थ्य इकाई हेतु (CMP-GDMO)	04 GDMO (OBC-01, UR-02, EWS-01)	MBBS

शैक्षिक योग्यताः- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS और एक वर्ष की इंटरशिप अवश्य पूरी होनी चाहिए और किसी भी भारतीय राज्य चिकित्सा परिषद का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।

पारिश्रमिकः- CMP हेतु पारिश्रमिक भत्ते (मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ते सहित) निम्न है–

सीएमपी की श्रेणी	मासिक पारिश्रमिक रुपये में
GDMO	75,000/-

आयुः- क. दि. 01.01.2024 को 53 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए / OBC को 03 वर्ष की नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

ख. सेवानिवृत्त आई.आर.एम.एस. अधिकारी/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी चिकित्सा अधिकारियों के लिए आयु दि.– 01.01.2024 को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जो न्यूनतम एक वर्ष एवं अधिकतम पाँच वर्ष के लिए होगा।

ग. वर्तमान नियमों के अनुसार आरक्षण नीति लागू होगी।

पदों की संख्याः- 04

स्टेशन/स्वास्थ्य इकाई	OBC	UR	EWS
मण्डल चिकित्सालय, चारबाग, लखनऊ एवं लखनऊ मंडल उ.रे. की स्वास्थ्य इकाइयों हेतु	01 GDMO	02 GDMO	01 GDMO

घ. चयनित CMP/GDMO को Private practice करने की अनुमति नियमानुसार नहीं होगी।

रिक्तियाँ केवल सांकेतिक है, आवश्यकता के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। प्रशासन चयनित उम्मीदवारों को लखनऊ मण्डल उत्तर रेलवे में कहीं पर भी नियुक्त कर सकता है।

159/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ